

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 573]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2014—अप्रहायण 18, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. 23595-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 9 दिसम्बर 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१४

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ४ में, —

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द तथा अंक “क्रमांक १० सन् १९४९” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “क्रमांक १७ सन् २०१२” स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रावधान में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ३-ख से ९ (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए),” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ (क्रमांक १७ सन् २०१२) की धारा ४ से ११ तथा १३,” स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ निरसित किया गया था और मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ (क्रमांक १७ सन् २०१२) के रूप में पुनः अधिनियमित किया गया था. निरसित अधिनियम के संक्षिप्त नाम तथा धाराओं के निर्देशों में परिवर्तन के कारण मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ४ प्रभावहीन हो गई है. यतः, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ द्वारा विहित प्रक्रिया भी मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ के अधीन उपकर के संग्रहण में प्रयोग की जाती है.

३. अतएव मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ की धारा ४ में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ५ दिसम्बर, २०१४

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.